XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – RN 208/96

जिला – मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04–8–15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 207/88–89/अपील में पारित आदेश दिनांक 25–1–96 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– प्रकरण के तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में उल्लिखित होने से उन्हें पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है । 3– आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किये जाने का अनुरोध किया गया है । 4– उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण भूमि के पुनः पुर्ननिर्धारण के संबंध में है प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में अधीक्षक, भू–परिवर्तन से जांच कराकर जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया और तदुपरांत संहिता की धारा 59(1) के तहत पुनः निर्धारण किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि कलेक्टर एवं अपर आयुक्त ने की है । प्रकरण में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के तथ्यों के संबंध में समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें ऐसी कोई विधिक या सारवान त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है, जिस कारण उनमें हस्तक्षेप आवश्यक हो । परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख वापिस हों । सदस्य	

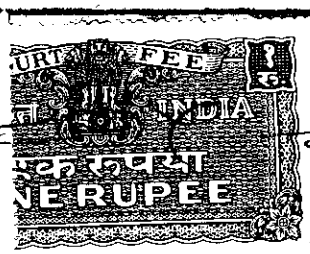

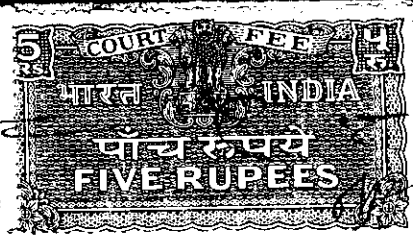

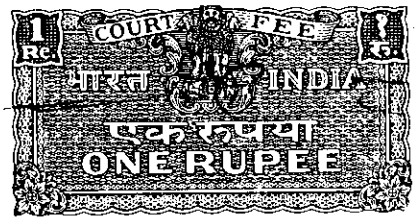

C.R.B.7.80

न्यायालय- राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

प्रकरण क्र०   /95-96 निगरानी

RMH-MP/288/96

महिला सावित्री देवी पत्नी स्व० राजेन्द्र नाथ

डिंगन जाति पंजाबी निवासी सिंधी ~~कालोनी~~

औषधालय रोड मुरैना -- प्रार्थिया

बनाम

म०प्र० शासन------ प्रतिप्रार्थी

कार्यालय ... श्री प्रकाश गुप्ता 23.3.96
अभिभाषक द्वारा आज दिनांक
को प्रस्तुत 23.3.96
रीडर ओथ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 25.1.96 अपर आयुक्त महोदय चम्बल संभाग प्रकरण क्रमांक 207/88-89 अ० माल जिसके द्वारा आदेश दिनांक 29.4.89 अपर कलेक्टर महोदय मुरैना प्रकरण क्रमांक 40/87-88 अ० मा० एवं आदेश दिनांक 14.9.87 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय मुरैना प्रकरण क्रमांक 672/81-82 अ 59 में पारित आदेश को स्थिर रखा गया है।

====== 0========

श्रीमानजी,

सविनय नम्र निवेदन है प्रार्थी का एक भवन ग्राम जौरा खुर्द के सर्वे क्रमांक 589 के अंश भाग 1080 वर्ग फीट पर भवन निर्माण करने के फलस्वरूप भू राजस्व संहिता की धारा 59 के अन्तर्गत डायवर्सन टैक्स दिनांक 16.9.82 को आरोपित किया गया जिसके सम्बन्ध में पुनरावलोकन का आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो स्वीकार करते हुये आदेश दिनांक 16.9.82 को निरस्त कर दिया गया तथा पुनः डायवर्सन टैक्स निर्धारित किया गया। जिसके अनुसार 204 वर्ग फीट पर 4 रुपया 25 पैसे प्रति 100 वर्ग फीट के हिसाब से वर्ष 1979-80 से परिवर्तन के हिसाब से